(4)

(6)

(8)

Title: Papers laid on the Table of the House by Ministers/members.

MADAM CHAIRMAN: Now, Papers to be laid on the Table.

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF DEVELOPMENT OF NORTH EASTERN REGION AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI PABAN SINGH GHATOWAR): Madam, on behalf of my colleague Shri G.K. Vasan, I beg to lay on the Table:-

- (1) (i) A copy of the Annual Administration Report (Hindi and English versions) of the Kolkata Port Trust, Kolkata, for the year 2011-2012.
  - (ii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Kolkata Port Trust, Kolkata, for the year 2011-2012, together with Audit Report thereon.
  - (iii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Kolkata Port Trust, Kolkata, for the year 2011-2012.
  - (iv) A copy of the Review (Hindi and English versions) on the Audited Accounts of the Kolkata Port Trust, Kolkata, for the year 2011-2012.
- (2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

(Placed in Library. See No. LT 8916/15/13)

- (3) (i) A copy of the Annual Administration Report (Hindi and English versions) of the V.O. Chidambaranar Port Trust, Tuticorin, for the year 2011-2012, alongwith Audited Accounts.
  - (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the V.O. Chidambaranar Port Trust, Tuticorin, for the year 2011-2012.

Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (3) above.

(Placed in Library. See No. LT 8917/15/13)

- (5) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Seamen's Provident Fund Organisation, Mumbai, for the year 2011-2012, alongwith Audited Accounts.
  - (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Seamen's Provident Fund Organisation, Mumbai, for the year 2011-2012.

Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (5) above.

(Placed in Library. See No. LT 8918/15/13)

- (7) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Inland Waterways Authority of India, Noida, for the year 2011-2012, alongwith Audited Accounts.
  - (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Inland Waterways Authority of India, Noida, for the year 2011-2012

Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (7) above.

(Placed in Library. See No. LT 8919/15/13)

...(Interruptions)

THE MINISTER OF STEEL (SHRI BENI PRASAD VERMA): Madam, I beg to lay on the Table a copy each of the following papers (Hindi and English versions):-

(1) Memorandum of Understanding between the Hindustan Steelworks Construction Limited and the Ministry of Steel for the year 2013-2014.

(Placed in Library. See No. LT 8920/15/13)

(2) Memorandum of Understanding between the Steel Authority of India Limited and the Ministry of Steel for the year 2013-2014.

(Placed in Library. See No. LT 8921/15/13)

(3) Memorandum of Understanding between the MOIL Limited and the Ministry of Steel for the year 2013-2014.

(Placed in Library. See No. LT 8922/15/13)

(4) Memorandum of Understanding between the MSTC Limited and the Ministry of Steel for the year 2013-2014.

(Placed in Library. See No. LT 8923/15/13)

(5) Memorandum of Understanding between the KIOCL Limited and the Ministry of Steel for the year 2013-2014.

(Placed in Library. See No. LT 8924/15/13)

(6) Memorandum of Understanding between the Rashtriya Ispat Nigam Limited and the Ministry of Steel for the year 2013-2014.

(Placed in Library. See No. LT 8925/15/13)

(7) Memorandum of Understanding between the NMDC Limited and the Ministry of Steel for the year 2013-2014.

(Placed in Library. See No. LT 8926/15/13)

(8) Memorandum of Understanding between the MECON Limited and the Ministry of Steel for the year 2013-2014.

(Placed in Library. See No. LT 8927/15/13)

...(Interruptions)

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS (SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN): Madam, I beg to lay on the Table:-

(1) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Central Zoo Authority, New Delhi, for the year 2010-2011, alongwith Audited Accounts.

(2)

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Central Zoo Authority, New Delhi, for the year 2010-2011.

Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

(Placed in Library. See No. LT 8928/15/13)

...(Interruptions)

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF YOUTH AFFAIRS AND SPORTS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF DEFENCE (SHRI JITENDRA SINGH): Madam, I beg to lay on the Table a copy each of the following papers (Hindi and English versions):-

(1) Outcome Budget of the National Cadet Corps, Ministry of Defence, for the year 2013-2014.

(2) Outcome Budget of the Directorate General Married Accommodation Project, Ministry of Defence, for the year 2013-2014.

(Placed in Library. See No. LT 8930/15/13)

## ...(Interruptions)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS AND MINISTER OF STATE IN THE PRIME MINISTER'S OFFICE (SHRI V. NARAYANASAMY): On behalf of my colleague Shrimati D.Purandeswari, I beg to lay on the Table a copy of the Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority (Amendment) Rules, 2013 (Hindi and English versions) published in Notification No. S.O. 379(E) in Gazette of India dated 15<sup>th</sup> February, 2013 under Section 34 of the Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority Act, 1985.

(Placed in Library. See No. LT 8931/15/13)

## ...(Interruptions)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF TEXTILES (SHRIMATI PANABAKA LAKSHMI): Madam, I beg to lay on the Table:-

- (1) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Indian Silk Export Promotion Council, Mumbai, for the year 2011-2012, alongwith Audited Accounts.
  - (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Indian Silk Export Promotion Council, Mumbai, for the year 2011-2012.

Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

(Placed in Library. See No. LT 8932/15/13)

- (3) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under sub-section (2) of Section 3 of the Jute Packaging Material (Compulsory Use in Packing Commodities) Act, 1987:-
  - (i) S.O. 596(E) published in Gazette of India dated 11<sup>th</sup> March, 2012, extending for placement of orders beyond 10.03.2013 i.e. upto 15.03.2013 and completion of supplies beyond 31.03.2013 i.e. upto 15.04.2013 for a quantity of 2.30 lakh bales only of HDPE/PP bags during the jute year 2012-2013.
  - (ii) S.O. 818(E) published in Gazette of India dated 22<sup>nd</sup> March, 2012, extending for placement of orders beyond 15.03.2013 i.e. upto 31.03.2013 and completion of supplies beyond 15.04.2013 i.e. upto 30.04.2013 for a quantity of 1.40 lakh bales only of HDPE/PP bags during the jute year 2012-2013.

(Placed in Library. See No. LT 8933/15/13)

(4) A copy each of the following papers (Hindi and English versions):-

(2)

- (i) Memorandum of Understanding between the NTC Limited and the Ministry of Textiles for the year 2013-2014.
- (ii) Memorandum of Understanding between the Central Cottage Industries Corporation of India Limited and the Ministry of Textiles for the year 2013-2014.

(Placed in Library. See No. LT 8934/15/13)

...(Interruptions)

At this stage Shri Shailendra Kumar and some other hon. Members

## went back to their seats.

## .....(Interruptions)

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निनोंग ईरींग): सभापति महोदया, मैं श्री सर्वे सत्यनारायण की ओर से निम्नलिखित पत् सभा पटल पर रखता हूँ :-

- (एक) का.आ. 1003(अ) जो 3 मई, 2012 के भारत के राजपत् में पूकाशित हुआ था तथा जो मध्य पूदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 और 75 (ग्वातियर शिवपुरी खंड) के विभिन्न खंडों के निर्माण, अनुरक्षण, पूर्वधन और पूचातन के तिए भूमि के अर्जन किए जाने के बारे में हैं।
- (दो) का.आ. 664(अ) जो 29 मार्च, 2012 के भारत के राजपत् में पूकाशित हुआ था तथा जो मध्य पूदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (रीवा कटनी जबलपुर खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, पूबंधन और पूचालन के लिए भूमि के अर्जन किए जाने के बारे में हैं।
- (तीन) का.आ. 1799(अ) जो 9 अगस्त, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (रीवा कटनी जबलपुर खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में हैं ।
- (चार) का.आ. 1755(अ) जो 7 अगस्त, 2012 के भारत के राजपत् में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 (शिवपुरी - देवास खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, पूर्वधन और प्रचातन के तिए भूमि के अर्जन के बारे में हैं।
- (पांच) का.आ. 1216(अ) जो 28 मई, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 69 (अब्दुल्लागंज - बेतुल खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में हैं।
- (छह) का.आ. 1815(अ) जो 14 अगस्त, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (रीवा कटनी जबतपुर खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचातन के तिए भूमि के अर्जन के बारे में हैं।
- (सात) का.आ. 2491(अ) जो 13 अतूबर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 (शिवपुरी देवास खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचातन के तिए भूमि के अर्जन के बारे में हैं।
- (आठ) का.आ. 2583(अ) जो 29 अतूबर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 69 (अब्दुल्लागंज बेतुल खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में हैं।
- (नौ) का.आ. 2482(अ) जो 13 अतूबर, 2012 के भारत के राजपत् में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (रीवा कटनी -

जबलपुर खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में हैं।

- (दस) का.आ. 2584(अ) जो 29 अतूबर, 2012 के भारत के राजपत् में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 69 (अब्दुल्लागंज - बेतुल खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में हैं।
- (भ्यारह) का.आ. 2599(अ) जो 29 अतूबर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 69 (अब्दुल्लागंज बेतुल खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में हैं।
- (बारह) का.आ. 2542(अ) जो 23 अतूबर, 2012 के भारत के राजपत् में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य पूदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 69 (अब्दुल्लागंज बेतुल खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, पूबंधन और प्रचालन के तिए भूमि के अर्जन के बारे में हैं।
- (तेरह) का.आ. 2861(अ) जो 7 दिसंबर, 2012 के भारत के राजपत्र में पूकाशित हुआ था तथा जो मध्य पूदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 (शिवपुरी देवास खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, पूबंधन और पूचातन के तिए भूमि के अर्जन के बारे में हैं।
- (चौंदह) का.आ. 2249(अ) जो 20 सितंबर, 2012 के भारत के राजपत् में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (रीवा -कटनी - जबतपुर खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचातन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में हैं।

- (पंद्रह) का.आ. 2485(अ) जो 13 अतूबर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 69 (बेतुल पनढुरना खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचातन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में हैं।
- (श्रोलह) का.आ. 2544(अ) जो 23 अतूबर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 26ख ( अमरवाडा से छिंदवाडा खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचातन के तिए भूमि के अर्जन के बारे में हैं।
- (सत्रह) का.आ. 2467(अ) जो 13 अतूबर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 69 (अब्दुल्लागंज बेतुल खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में हैं।

- (अठारह) का.आ. 2471 (अ) जो 13 अत्तूबर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 9 (पुणे सोतापुर खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचातन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में हैं।
- (उन्नीस) का. 31. 2481(अ) जो 13 अत्तूबर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 69क ( छिंदवाड़ा से छिंदवाड़ा/िशवनी जिला सीमा ) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में हैं।

- (बीस) का.आ. 2461(अ) जो 13 अतूबर, 2012 के भारत के राजपत् में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 ( शिवपुरी देवास खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, पूर्वधन और पूचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में हैं |
- (इक्कीस) का.आ. 2468(अ) जो 13 अतूबर, 2012 के भारत के राजपत् में पूकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 69क ( बेतुल/िछंदवाड़ा जिला सीमा से छिंदवाड़ा खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में हैं |
- (बाइस) का.आ. 2091(अ) जो 7 सितंबर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 69 ( अब्दुल्लागंज बेतुल खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, पूबंधन और पूचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में हैं |
- (तेइस) का.आ. 1754(अ) जो 7 अगस्त, 2012 के भारत के राजपत् में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 26ख के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के तिए भूमि के अर्जन के बारे में हैं |
- (चौबीस) का.आ. 2860(अ) जो 7 दिसंबर, 2012 के भारत के राजपत् में पूकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (रीवा कटनी जबलपुर खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में हैं |
- (पद्वीस) का.आ. 1527(अ) जो 9 जुलाई, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (रीवा कटनी जबलपुर खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, पूर्वधन और पूचातन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में हैं |
- (छब्बीस) का.आ. 661(अ) जो 29 मार्च, 2012 के भारत के राजपत् में पूकाशित हुआ था तथा जो छत्तीसगढ़ राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 ( औरंग सरायपाती खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, पूर्वधन और पूचातन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में हैं |
- (सत्ताइस) का.आ. 1826(अ) जो 14 अगस्त, 2012 के भारत के राजपत् में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 59 (इंदौर मध्य प्रदेश/गुजरात सीमा खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में हैं |
- (अठाइस) का.आ. 917(अ) जो 26 अप्रैल, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 69 ( अब्दुल्लागंज बेतुल खंड) के निर्माण,

अनुरक्षण, पूर्वधन और पूचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में हैं।

- (उनतीस) का.आ. 2243(अ) जो 20 सितंबर, 2012 के भारत के राजपत् में पूकाशित हुआ था तथा जो मध्य पूदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (रीवा कटनी जबलपुर खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, पूबंधन और पूचातन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में हैं |
- (तीस) का.आ. 1332(अ) जो 15 जून, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 69 ( अब्दुत्तागंज बेतुल खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, पूबंधन और प्रचातन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में हैं ।
- (इकतीस) का.आ. 2227(अ) जो 20 सितंबर, 2012 के भारत के राजपत् में पूकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 ( देवास इंदौर खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, पूर्वधन और पूचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में हैं।
- (बत्तीस) का.आ. 2115(अ) जो 8 सितंबर, 2012 के भारत के राजपत् में पूकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 69 (अब्दुल्लागंज बेतुल खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचातन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में हैं।
- (तेतीस) का.आ. 2226(अ) जो 20 सितंबर, 2012 के भारत के राजपत् में पूकाशित हुआ था तथा जो मध्य पूदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 ( शिवपुरी देवास खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, पूबंधन और पूचातन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में हैं ।
- (चौतीस) का.आ. 2246(अ) जो 20 सितंबर, 2012 के भारत के राजपत् में पूकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 69 (बेतुल - पंढुरना खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, पूर्वधन और पूचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में हैं |
- (पैतीस) का.आ. 1969(अ) जो 25 अगस्त, 2012 के भारत के राजपत् में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 ( ग्वातियर शिवपुरी खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचातन के तिए भूमि के अर्जन के बारे में हैं |
- (छतीस) का.आ. 2333(अ) जो 28 सितंबर, 2012 के भारत के राजपत् में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य पूदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 (ग्वालियर शिवपुरी खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, पूबंधन और पूचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में हैं ।
- (सैतीस) का.आ. 663(अ) जो 29 मार्च, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य पूदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 (शिवपुरी देवास खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, पूर्वधन और प्रचातन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में हैं |

- (अड़तीस) का.आ. 1005(अ) जो 3 मई, 2012 के भारत के राजपत् में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 ( शिवपुरी देवास खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, पूर्वधन और प्रचालन के तिए भूमि के अर्जन के बारे में हैं |
- (उनचातीस) का.आ. 597(अ) जो 27 मार्च, 2012 के भारत के राजपत् में पूकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 और 75 ( ग्वातियर - शिवपुरी खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचातन के तिए भूमि के अर्जन के बारे में हैं

(चालीस) का.आ. 487(अ) जो 17 मार्च, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 ( जबलपुर - राजमार्ग क्रॉसिंग खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है

(इकतातीस) का.आ. 2593(अ) जो 29 अतूबर, 2012 के भारत के राजपत् में प्रकाशित हुआ था तथा जो ओडिशा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 ( विशाखापत्तनम - भुवनेश्वर खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचातन के तिए भूमि के अर्जन के बारे में है

(ब्यातीस) का0310 1562(अ) जो 12 जुलाई, 2012 के भारत के राजपत् में पूकाशित हुआ था तथा जो ओडिशा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 42 (कटक-अंगुल खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, पूर्वधन और पूचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में हैं।

(तेतालीस) का0आ0 2248(अ) जो 20 सितंबर, 2012 के भारत के राजपत् में प्रकाशित हुआ था तथा जो असम राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 37 (जोरहट से डिब्रुगढ खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में हैं ।

(चवालीस) का.आ. 873(अ) जो 21 अप्रैल, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 69 ( अबदुल्लागंज - बेतुल खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है

(पैतालीस) का0आ0 528(अ) जो 22 मार्च, 2012 के भारत के राजपत् में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य पूदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 (खालघाट - मध्य पूदेश/महाराष्ट्र सीमा खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, पूबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में हैं |

(छियातीस) का0आ0 1486(अ) जो 4 जुलाई, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 26(ख) (उमरनाला से मध्य प्रदेश/महाराष्ट्र सीमा खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रवंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में हैं |

(श्रैतालीस) का.आ. 600(अ) जो 27 मार्च, 2012 के भारत के राजपत् में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (कटनी - जबलपुर खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में हैं।

(अड़तातीस) का.आ. 1558(अ) जो 12 जुताई, 2012 के भारत के राजपत् में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 (शिवपुरी - देवास खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, पूर्बंधन और पूचालन के तिए भूमि के अर्जन के बारे में हैं |

(उनचास) का0आ0 587(अ) जो 27 मार्च, 2012 के भारत के राजपत् में पूकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 59 (डेजिन चैनेज ) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में हैं ।

(पचास) का.आ. 905(अ) जो 25 अप्रैल, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 69 ( अबदुल्लागंज - बेतुल खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में हैं

- (इवयावन) का.आ. 750(अ) जो 4 अप्रैल, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 ( शिवपुरी देवास खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, पूर्बंधन और पूचालन के तिए भूमि के अर्जन के बारे में हैं |
- (बावन) का0आ0 607(अ) जो 27 मार्च, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 29 अपूँत, 2011 की अधिसूचना संख्या का0आ0 943(अ) में कितपर संशोधन किए गए हैं।
- (तिरपन) का0आ0 1227(अ) जो 28 मई, 2012 के भारत के राजपत् में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 (बाईपास के निर्माण सहित) (औरंग सरायपती खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में हैं।
- (चौवन) का0आ0 1788(अ) जो 9 अगस्त, 2012 के भारत के राजपत् में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 (बाईपास के निर्माण सिंहत) (औरंग सरायपती खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में हैं।
- (पचपन) का0आ0 1341(अ) से का0आ0 1344(अ) जो 15 जून, 2012 के भारत के राजपत् में पूकाशित हुआ था तथा जो मध्य पूदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 (औरंग सरायपती खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, पूबंधन और पूचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में हैं।
- (छप्पन) का0आ0 1484(अ) जो 4 जुलाई, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 (बाईपास के निर्माण सिंहत) (औरंग सरायपती खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में हैं।
- (सतावन) का0आ0 553(अ) जो 22 मार्च, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 69 (अब्दुल्लागंज - बेतुल खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में हैं।
- (अठावन) का0आ0 871(अ) जो 21 अपूँल, 2012 के भारत के राजपत् में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य पूदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 69 (अब्दुल्लागंज बेतुल खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, पूबंधन और पूचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में हैं।
- (उनसठ) का0आ0 1011(अ) जो 3 मई, 2012 के भारत के राजपत् में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य पूदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 के निर्माण, अनुरक्षण, पूबंधन और पूचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में हैं |
- (आठ) का0आ0 542(अ) जो 22 मार्च, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (रीवा - कटनी - जबलपुर खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचातन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में हैं
- (इक्सर) का0आ0 673(अ) जो 29 मार्च, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (जबलपुर तरवानडन खंड) तथा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12क (जबलपुर मंडला खंड) (नए संख्या सिंत) पर जुड़ने वाले जबलपुर बायपास के विस्तार हेतु निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में हैं।

- (बासठ) का0आ0 747(अ) जो ४ अपूैल, 2012 के भारत के राजपत् में पूकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 31 दिसंबर, 2010 की अधिसूचना संख्या का0आ0 3075(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं ।
- (तिरसठ) का.आ. 1531(अ) जो 9 जुलाई, 2012 के भारत के राजपत् में प्रकाशित हुआ था तथा जो असम राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 37 के निर्माण, अनुरक्षण, पूर्वधन, और पूचातन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में हैं ।
- (चौसठ) का0आ0 1798(अ) जो 9 अगस्त, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (रीवा - कटनी - जबलपुर खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है
- (पैंसठ) का0आ0 1463(अ) जो 4 जुलाईज़, 2012 के भारत के राजपत् में पूकाशित हुआ था तथा जो असम राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 37 (नुमातीगढ-दा-धारा खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, पूबंधन और पूचातन के तिए भूमि के अर्जन के बारे में हैं।
- (छियासठ) का.आ. 874(अ) जो 21 अपूँल, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो हिरयाणा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 22 (जिरकपुर-परवानू खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, पूबंधन और पूचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में हैं|
- (सङ्सठ) का.आ. 964(अ) जो 1 मई, 2012 के भारत के राजपत् में पूकाशित हुआ था तथा जो मध्य पूदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 75 (ग्वातियर-शिवपुरी खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, पूबंधन और पूचातन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में हैं|
- (अड़सठ) का.आ. 959(अ) जो 1 मई, 2012 के भारत के राजपत् में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 75 (ग्वालियर-शिवपुरी खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में हैं।
- (उनहत्तर) का.आ. 646(अ) जो 29 मार्च, 2012 के भारत के राजपत् में पूकाशित हुआ था तथा जो मध्य पूदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (कटनी-जबलपुर खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, पूबंधन और पूचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में हैं।
- (सत्तर) का.आ. 658(अ) जो 29 मार्च, 2012 के भारत के राजपत् में पूकाशित हुआ था तथा जो मध्य पूदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (रीवा-कटनी-जबतपुर खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, पूबंधन और पूचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में हैं<sub>।</sub>
- (इकहतर) का.आ. 2264(अ) जो 20 सितम्बर, 2012 के भारत के राजपत् में प्रकाशित हुआ था तथा जो उड़ीसा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 (सम्बलपुर-उड़ीसा/छत्तीसगढ़ खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, पूबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में हैं।
- (बहतर) का.आ. 2196(अ) जो 18 सितम्बर, 2012 के भारत के राजपत् में प्रकाशित हुआ था तथा जो उड़ीसा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 (विशाखापत्तनम-भुवनेश्वर से भुवनेश्वर-कोतकाता स्वण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचातन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में हैं।
- (तिहत्तर) का.आ. 2355(अ) जो 3 अतूबर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उड़ीसा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 (विशाखापत्तनम-भुवनेश्वर खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में हैं।

- (चौहतर) का.आ. 560(अ) जो 22 मार्च, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 69 (बेतुल-पंढुरना खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के तिए भूमि के अर्जन के बारे में हैं।
- (पवहत्तर) का.31. 1920(अ) जो 21 अगस्त, 2012 के भारत के राजपत् में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 69 (ओबेदुत्तागंज-बेतुत खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचातन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में हैं।
- (छिहतर) का.आ. 2192(अ) जो 18 सितम्बर, 2012 के भारत के राजपत् में पूकाशित हुआ था तथा जो मध्य पूदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 (शिवपुरी-देवास खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, पूबंधन और पूचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में हैं|
- (सतहतर) का.आ. 1215(अ) जो 28 मई, 2012 के भारत के राजपत् में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (जबलपुर-तखनाडोन खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, पूर्वधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में हैं।
- (अट्हत्तर) का.आ. 606(अ) जो 27 मार्च, 2012 के भारत के राजपत्र में पूकाशित हुआ था तथा जो मध्य पूदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 26(ख) (अमरवार से छिंदवाड़ा खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, पूबंधन और पूचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में हैं|
- (उन्नासी) का.आ. 1525(अ) जो 9 जुलाई, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 (शिवपुरी-देवास खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचावन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में हैं।
- (अस्सी) का.आ. 2258(अ) जो 20 सितम्बर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उड़ीसा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 42 (अंगुल-सम्बलपुर खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, पूबंधन और पूचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में हैं।
- (इक्यासी) का.आ. 1821(अ) जो 14 अगस्त, 2012 के भारत के राजपत्र में पूकाशित हुआ था तथा जो मध्य पूदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 (इंदौर-देवास खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, पूबंधन और पूचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में हैं।
- (बयासी) का0आ0 2033(अ) जो 5 सितम्बर, 2012 के भारत के राजपत् में पूकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 21 सितम्बर, 2011 की अधिसूचना संख्या का0आ0 2177(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं |
- (तिरासी) का.आ. 2240(अ) जो 20 सितम्बर, 2012 के भारत के राजपत् में पूकाशित हुआ था तथा जो सब-डिवीजनत अधिकारी, राजस्व, कन्नोद को मध्य पूदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 59क के निर्माण, अनुरक्षण, पूबंधन और पूचातन के तिए भूमि के अर्जन हेतु सक्षम पूधिकारी के रूप में पूधिकृत किए जाने के बारे में हैं।
- (चौरासी) का.आ. 1490(अ) जो 4 जुलाई, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 (शिवपुरी-देवास खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में हैं।
- (पचासी) का.आ. 543(अ) जो 22 मार्च, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (जबलपुर-तखनाडोन खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में हैं।
- (छियासी) का.आ. 1006(अ) जो 3 मई, 2012 के भारत के राजपत् में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (जबलपुर-लखनाडोन खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, पूबंधन और पूचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में हैं।
- (सतासी) का.आ. 969(अ) जो 1 मई, 2012 के भारत के राजपत् में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य पूदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 के निर्माण, अनुरक्षण, पूबंधन और पूचातन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में हैं।
- (अठासी) का.आ. 1001(अ) जो 3 मई, 2012 के भारत के राजपत् में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य पूदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 (शिवपुरी-देवास खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, पूबंधन और पूचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में हैं।
- (नवासी) का.आ. 1805(अ) जो 14 अगस्त, 2012 के भारत के राजपत्र में पूकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 (शिवपुरी-देवास खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, पूबंधन और पूचातन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में हैं। (नब्बे) का.आ. 1761(अ) जो 7 अगस्त, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था

तथा जो मध्य पुदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (रीवा-कटनी-जबलपुर खण्ड) के निर्माण, अनरक्षण, पूबंधन और पूचातन के तिए भीम के अर्जन के बारे में (इक्यानवे) का.आ. 886(अ) जो 21 अपूँल, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 69 (ओबेदुल्लागंज-बेतुल खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, पूबंधन और पूचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है

का.आ. 1907(अ) जो 21 अप्रैल, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था (बानवे) तथा जो मध्य पूदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (रीवा-कटनी-जबलपूर खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, पूबंधन और पूचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में

(तिरानवे) का.आ. 532(अ) जो 22 मार्च, 2012 के भारत के राजपत् में पूकाशित हुआ था तथा जो मध्य पुदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (रीवा-कटनी-जबलपुर खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, पूबंधन और पूचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में

(चौरानवे) का.आ. 875(अ) जो 21 अप्रैल, 2012 के भारत के राजपत् में पूकाशित हुआ था तथा जो मध्य पुदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 69 (ओबेंदल्लागंज-बेतृल खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, पूबंधन और पूचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है

का.आ. 1816(अ) जो 14 अगस्त, 2012 के भारत के राजपत् में पूकाशित हुआ था (पंचानवे) तथा जो मध्य पुदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 59 (इंदौर-मध्य पुदेश/गुजरात सीमा खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, पूर्वधन और पूचालन के लिए भूमि के अर्जन के

(छियानवे) का.आ. 1239(अ) जो 30 मई, 2012 के भारत के राजपत् में पूकाशित हुआ था तथा जो तहसीलदार, बरकोट को उड़ीसा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 23 के निर्माण, अनुरक्षण, पूर्वंधन और पूचातन के लिए भूमि के अर्जन हेतु सक्षम पाधिकारी के रूप में पाधिकृत किए जाने के बारे में हैं।

(सतानवे) का.आ. २४६०(अ) जो 31 अतूबर, २०१२ के भारत के राजपत् में पूकाशित हुआ था तथा जो उसमें उटिलरिवत अधिकारियों को उड़ीसा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 के निर्माण, अनुरक्षण, पूबंधन और पूचालन के लिए भूमि के अर्जन हेत् सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत किए जाने के बारे में हैं।

का.आ. 1922(अ) जो 21 अपूरेल, 2012 के भारत के राजपत् में पूकाशित हुआ था तथा जो उड़ीसा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 42 (कटक-अंगुल खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, पूबंधन और पूचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में हैं।

(निन्यानवे) का.आ. 2330(अ) जो 28 सितम्बर, 2012 के भारत के राजपत् में पूकाशित हुआ था तथा जो उड़ीसा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 (सम्बलपूर-बारगढ़-उड़ीसा/छत्तीसगढ़ सीमा खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, पूबंधन और पूचातन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में हैं।

का.आ. 2204(अ) जो 18 सितम्बर, 2012 के भारत के राजपत् में पूकाशित हुआ था तथा जो मध्य पूदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 (शिवपूरी-देवास खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, पूबंधन और पूचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में हैं।

(एक सौ एक) का.आ. 595(अ) जो 27 मार्च, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य पुदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (जबलपूर-लखनाडोन खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, पूबंधन और पूचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में हे

(एक सौ दो) का.आ. 1002(अ) जो 3 मई, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य पूदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 (शिवपुरी-देवास खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, पूर्वधन और पूचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में हैं।

(एक सौ तीन) का0आ0 657(अ) जो 29 मार्च, 2012 के भारत के राजपत् में पूकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा २ अगस्त, २००६ की अधिसूचना संख्या का0आ० १२४३(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(अठानवे)

(सौ)

- (एक सौ चार) का.आ. 1373(अ) जो 18 जून, 2012 के भारत के राजपत् में पूकाशित हुआ था तथा जो मध्य पूदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 (ग्वातियर-शिवपुरी खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, पूबंधन और पूचातन के तिए भूमि के अर्जन के बारे में हैं।
- (एक औं पांच) का.आ. 665(अ) जो 29 मार्च, 2012 के भारत के राजपत् में पूकाशित हुआ था तथा जो मध्य पूदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (रीवा-कटनी-जबलपुर खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, पूबंधन और पूचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में हैं।
- (एक औं छह) का.आ. 888(अ) जो 21 अपूैल, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 (शिवपुरी-देवास खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में हैं।
- (एक सौ सात) का.आ. 890(अ) जो 21 अप्रैल, 2012 के भारत के राजपत् में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 69 (ओबेदुल्लागंज-बेतुल स्वण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, पूर्वधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में हैं।
- (एक सौ आठ) का.आ. 965(अ) जो 1 मई, 2012 के भारत के राजपत् में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 के निर्माण, अनुरक्षण, पूबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में हैं।
- (एक औं नों) का.आ. 979(अ) जो 1 मई, 2012 के भारत के राजपत् में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 69 (बेतुल-पंढुरना खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, पूर्वधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में हैं।
- (एक औं दस) का.आ. 961(अ) जो 1 मई, 2012 के भारत के राजपत् में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 (शिवपुरी-देवास खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, पूर्वंधन और प्रचातन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में हैं।
- (एक सौ का.आ. 2839(अ) जो 6 दिसम्बर, 2012 के भारत के राजपत् में प्रकाशित हुए थे तथा जो ज्यारह) पश्चिम बंगाल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 के उसमें उत्तिरिवत विभिन्न खण्डों के उपयोग हेतु यांत्रिक वाहनों से शुल्क के उगृहण के बारे में हैं |
- (एक सौ का.आ. 2842(अ) जो 6 दिसम्बर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो बारह) उत्तर पूदेश और राजस्थान राज्यों में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 के उसमें उदिलखित विभिन्न खण्डों के उपयोग हेत् यांतिक वाहनों से शत्क के उगूहण के बारे में हैं।
- (एक सौ का.आ. 2864(अ) जो 10 दिसम्बर, 2012 के भारत के राजपत् में प्रकाशित हुए थे तथा जो तेरह) उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 के उसमें उल्लिखित विभिन्न खण्डों के उपयोग हेत् यांतिक वाहनों से शुल्क के उगृहण के बारे में हैं।
- (एक सौ का.आ. 2905(अ) जो 14 दिसम्बर, 2012 के भारत के राजपत् में प्रकाशित हुए थे तथा जो चौंदह) उड़ीसा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 के उसमें उदिलखित विभिन्न खण्डों के उपयोग हेतु यांतिक वाहनों से शुल्क के उगूहण के बारे में हैं।
- (एक सौ का.आ. 2906(अ) जो 14 दिसम्बर, 2012 के भारत के राजपत् में प्रकाशित हुए थे तथा जो पंद्रह) पश्चिम बंगाल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 28 के उसमें उल्लिखित विभिन्न खण्डों के उपयोग हेत् यांतिक वाहनों से शुल्क के उग्रहण के बारे में हैं।
- (एक सौ का.आ. 2922(अ) जो 17 दिसम्बर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो सोलह) गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 के उसमें उत्लिखित विभिन्न खण्डों के उपयोग हेत् यांतिक वाहनों से शुल्क के उग्रहण के बारे में हैं।
- (एक सौ का.आ. 2923(अ) जो 17 दिसम्बर, 2012 के भारत के राजपत् में प्रकाशित हुए थे तथा जो सत्ह) गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 के उसमें उदिलखित विभिन्न खण्डों के उपयोग हेतु यांत्रिक वाहनों से शुल्क के उग्रहण के बारे में हैं |
- (एक सौ का.आ. 2980(अ) जो 21 दिसम्बर, 2012 के भारत के राजपत्र में पूकाशित हुए थे तथा जो अठारह) जुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 के उसमें उत्तिरिवत विभिन्न खण्डों के उपयोग हेतु यांत्रिक वाहनों से शुल्क के उग्रहण के बारे में हैं |

(एक औं उन्नीस)	का.आ. 2921(अ) जो 17 दिसम्बर, 2012 के भारत के राजपत् में प्रकाशित हुए थे तथा जो गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 के उसमें उदिलखित	
(एक सौ बीस)	विभिन्न खण्डों के उपयोग हेतु यांत्रिक वाहनों से शुल्क के उगूहण के बारे में हैं। का.आ. 2904(अ) जो 14 दिसम्बर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो उड़ीसा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 के उसमें उल्लिखित विभिन्न खण्डों के उपयोग हेतु यांत्रिक वाहनों से शुल्क के उगूहण के बारे में हैं।	
(एक औं इक्कीस)	का.आ. 2843(अ) जो 6 दिसम्बर, 2012 के भारत के राजपत् में प्रकाशित हुए थे तथा जो मध्य पूदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 के उसमें उदिनस्वित	
(एक सौ बाईस)	विभिन्न खण्डों के उपयोग हेतु यांत्रिक वाहनों से शुल्क के उगूहण के बारे में हैं। का.आ. 2840(अ) जो 6 दिसंबर, 2012 के भारत के राजपत्र में पूकाशित हुआ था तथा जो बिहार राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 के उसमें उत्तिरिवत विभिन्न खण्डों के पूर्योग के तिए यांत्रिक वाहनों से शुल्क के संगृहण के बारे में हैं।	
(एक सौं तेईस)	का.आ. 2841(अ) जो 6 दिसंबर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 के उसमें उल्लिखित विभिन्न खण्डों के प्रयोग के लिए यांत्रिक वाहनों से शुल्क के संगृहण के बारे में हैं ।	
(एक सौ चौबीस)	का.आ. 420(अ) जो 21 फरवरी, 2013 के भारत के राजपत् में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 के उसमें उल्लिखित विभिन्न खण्डों के प्रयोग के लिए यांत्रिक वाहनों से शुल्क के संगृहण के बारे में हैं ।	
(एस सौं पट्चीस)	का.आ. 400(अ) जो 18 फरवरी, 2013 के भारत के राजपत्र में पूकाशित हुआ था तथा जो पश्चिम बंगाल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 34 के उसमें उल्लिखित विभिन्न खण्डों के पूयोग के लिए यांत्रिक वाहनों से शुल्क के संगृहण के बारे में हैं ।	
(एक सौ छब्बीस)	का.आ. 401(अ) जो 18 फरवरी, 2013 के भारत के राजपत् में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंधू प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 के उसमें उल्लिखित विभिन्न खण्डों के प्रयोग के लिए यांत्रिक वाहनों से शुल्क के संगृहण के बारे में हैं	
(एक औं सताईस)	का.आ. 402(अ) जो 18 फरवरी, 2013 के भारत के राजपत् में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 के उसमें उल्लिखित विभिन्न खण्डों के प्रयोग के लिए यांत्रिक वाहनों से शुल्क के संगृहण के बारे में हैं ।	
(एक सौ अझईस)	का.आ. 403(अ) जो 18 फरवरी, 2013 के भारत के राजपत् में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 के उसमें उटिलखित विभिन्न खण्डों के प्रयोग के लिए यांत्रिक वाहनों से शुल्क के संगृहण के बारे में हैं।	
(एक सौ उनतीस)	का.आ. 336(अ) जो 7 फरवरी, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 के उसमें उल्लिखित विभिन्न खण्डों के प्रयोग के तिए यांत्रिक वाहनों से शुल्क के संगृहण के बारे में हैं	
(एक सौं तीस)	का.आ. 376(अ) जो 15 फरवरी, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 के उसमें उल्लिखित विभिन्न खण्डों के प्रयोग के लिए यांत्रिक वाहनों से शुल्क के संगृहण के बारे में हैं।	
(एक सौ इकतीस)	का.आ. 421(अ) जो 21 फरवरी, 2013 के भारत के राजपत्र में पूकाशित हुआ था तथा जो मध्य पूदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 26 के उसमें उिल्लेखित विभिन्न खण्डों के पूर्योग के लिए यांत्रिक वाहनों से शुल्क के संगृहण के बारे में हैं ।	
(एक सौं बतीस)	का.आ. 422(अ) जो 21 फरवरी, 2013 के भारत के राजपत् में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 25 के उसमें उिल्लिखत विभिन्न खण्डों के प्रयोग के लिए यांत्रिक वाहनों से शुल्क के संगृहण के बारे में हैं ।	
(एक सौं तैंतीस)	का.आ. 130(अ) जो 11 जनवरी, 2013 के भारत के राजपत् में पूकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 के उसमें उल्लिखित विभिन्न खण्डों के प्रयोग के लिए यांत्रिक वाहनों से शुल्क के संग्रहण के बारे में हैं ।	

(एक औं चौंतीर	का.आ. 287(अ) जो 29 जनवरी, 2013 के भारत है तथा जो उत्तर पूदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 खण्डों के पूयोग के लिए यांत्रिक वाहनों से शुल्क के र	2 के उसमें उत्लिखित विभिन्न
(एक औं पैंतीस)	का.आ.288(अ) जो 29 जनवरी, 2013 के भारत वे तथा जो उत्तर पूदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 खण्डों के पूयोग के लिए यांत्रिक वाहनों से शुल्क के र	2 के उसमें उत्लिखित विभिन्न
(एक औं छतीस	का.आ. 334(अ) जो 7 फरवरी, 2013 के भारत वे तथा जो गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8घ खण्डों के पूर्योग के लिए चांत्रिक वाहनों से शुल्क के र	के उसमें उत्लिखित विभिन्न
(एक औं शैंतीस	का.आ. 335(अ) जो 7 फरवरी, 2013 के भारत वे तथा जो बिहार और झारखण्ड राज्य में राष्ट्रीय व उटित्तरिवत विभिन्न खण्डों के पूर्योग के तिए यांत्रिक व बारे में हैं	राजमार्ग संख्या 2 के उसमें
(एक सौ अढ़ती:	का.आ.219(अ) जो 22 जनवरी, 2013 के भारत वे तथा जो कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 खण्डों के पूयोग के लिए यांत्रिक वाहनों से शुल्क के र	के उसमें उत्लिखित विभिन्न
(एक औं उनता	स) का.आ.423(अ) जो 21 फरवरी, 2013 के भारत के तथा जो उत्तर पूदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संस् विभिन्न खण्डों के पूर्योग के तिए यांत्रिक वाहनों से शु	त्या <b>26</b> के उसमें उत्लिखित
(एक औं चालीर	का.आ.432(अ) जो 22 फरवरी, 2013 के भारत वे तथा जो उत्तर पूदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्य विभिन्न खण्डों के पूर्योग के लिए यांत्रिक वाहनों से शु	॥ 24ख के उसमें उत्लिखित
(एक औं इकता	स) का.आ. 433(अ) जो 22 फरवरी, 2013 के भारत वे तथा जो मध्य पूढेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संर विभिन्न खण्डों के पूर्योग के लिए गांत्रिक वाहनों से शु	ख्या <b>26</b> के उसमें उत्लिखित
(एक सौ क्याती	) का.आ.434(अ) जो 22 फरवरी, 2013 के भारत के तथा जो उत्तर पूदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 खण्डों के पूयोग के लिए यांत्रिक वाहनों से शुल्क के र	2 के उसमें उत्लिखित विभिन्न
(एक औं तैंतार्ल	) का.आ.466(अ) जो 26 फरवरी, 2013 के भारत के तथा जो उड़ीसा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 203 खण्डों के पूर्योग के लिए यांत्रिक वाहनों से शुल्क के र	के उसमें उटिलखित विभिन्न
(एक औं चौंबार्ल	त) का.आ.467(अ) जो 26 फरवरी, 2013 के भारत के तथा जो केरल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 47 खण्डों के पूर्योग के लिए चांत्रिक वाहनों से शुल्क के र	के उसमें उत्लिखित विभिन्न
(एक औं पैंताती	) का.आ.469(अ) जो 26 फरवरी, 2013 के भारत वे तथा जो उड़ीसा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 खण्डों के पूर्योग के लिए यांत्रिक वाहनों से शुल्क के र	के उसमें उत्लिखित विभिन्न
(एक औं छियालं	<ul> <li>का.आ.484(अ) जो 27 फरवरी, 2013 के भारत के तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या विभिन्न खण्डों के प्रयोग के तिए यांत्रिक वाहनों से शु</li> </ul>	4 और 5 के उसमें उत्लिखित
(एक औं अँतार्ल	ह) का.आ.4(अ) जो 1 जनवरी, 2013 के भारत के राज जो राजस्थान राज्य में विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्ग संस्ट	

उसमें उटिलिखित विभिन्न खण्डों के पूर्योग के लिए यांत्रिक वाहनों से शुल्क के

का.आ. 39(अ) जो 3 जनवरी, 2013 के भारत के राजपत् में प्रकाशित हुआ था (एक सौ अढ़तालीस) तथा जो उत्तर पूदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 28 के उसमें उदिलखित

विभिन्न खण्डों के पूर्योग के लिए यांत्रिक वाहनों से शूटक के संगृहण के बारे में हैं।

का.आ. 116(अ) जो 9 जनवरी, 2013 के भारत के राजपत्र में पूकाशित हुआ था (एक औ उनचास) तथा जो उत्तर पूदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 24 के उसमें उल्लिखित

विभिन्न खण्डों के पूर्योग के लिए यांत्रिक वाहनों से शूल्क के संगृहण के बारे में हैं।

का.आ. 2872(अ) जो 11 दिसंबर, , 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ (एक सौ पचास) था तथा जिसके द्वारा 31 मई 2007 की अधिसूचना संख्या का.आ. 862(अ) को

निरस्त किया गया है।

का.आ. ४४८(अ) जो २६ फरवरी, २०१३ के भारत के राजपत् में पूकाशित हुआ था (एक औं इकावन) तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7क के उसमें उल्लिखित

विभिन्न खण्डों के पूर्योग के लिए यांत्रिक वाहनों से शुल्क के संगृहण के बारे में हैं ।

का.आ. 1460(अ) जो 4 जुलाई, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था (एक सौ बावन) तथा जो मध्य पूदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (रीवा-कटनी-जवलपूर खंड)

के निर्माण, अनुरक्षण, पूबंधन और पूचालन के लिए भूमि का अर्जन किए जाने के

बारे में हैं

का.आ. 1916(अ) जो 21 अगस्त, 2012 के भारत के राजपत् में पूकाशित हुआ था (एक औं तिरपन) तथा जो उड़ीसा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 42 (अंगूल-संबलपूर-खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, पूर्वधन और पूचातन के तिए भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में

है |

का.आ. 1812(अ) जो 14 अगस्त, 2012 के भारत के राजपत् में पूकाशित हुआ था (एक सौ चौवन) तथा जो मध्य पूदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 (ग्वालियर-शिवपूरी खंड) के

निर्माण, अनुरक्षण, पूर्वधन और पूचालन के लिए भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में

है

का.आ. 891(अ) जो 21 अपूँल, 2012 के भारत के राजपत् में प्रकाशित हुआ था (एक औ पचपन) तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 (शिवपुरी-देवास खंड) के

निर्माण, अनुरक्षण, पूबंधन और पूचालन के लिए भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में

है ।

का.आ. 1353(अ) जो 15 जून, 2012 के भारत के राजपत्र में पूकाशित हुआ था (एक सौ छप्पन)

तथा जो मध्य पूदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7

(रीवा-कटनी-जबलपुर खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, पूबंधन और पूचालन के लिए

भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में हैं।

का.आ. 1608(अ) जो 19 जुलाई, 2012 के भारत के राजपत् में पूकाशित हुआ था (एक औ सत्तावन) तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 75 (ग्वातियर-शिवपुरी खंड)

के निर्माण, अनुरक्षण, पूर्वधन और पूचालन के लिए भूमि का अर्जन किए जाने के

बारे में हैं

का.आ. 877(अ) जो 21 अप्रैल, 2012 के भारत के राजपत् में पूकाशित हुआ था (एक सौ अट्ठावन) तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 (शिवपरी-देवास खंड) के

निर्माण, अनुरक्षण, पूबंधन और पूचालन के लिए भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में

है |

- (एक सौ उनस्त) का.आ. 973(अ) जो 1 मई, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 (शिवपुरी-देवास खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में हैं <sub>।</sub>
- (एक औं साठ) का.आ. 879(अ) जो 21 अप्रैल, 2012 के भारत के राजपत् में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य पूदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 69 (अब्दुल्लागंज-बेतुल खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, पूबंधन और पूचालन के लिए भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में हैं |
- (एक सौ इकसठ) का.आ. 880(अ) जो 21 अप्रैल, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य पूदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 69 (अब्दुल्लागंज-बेतुल खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में हैं |
- (एक सौ वासठ) का.आ. 976(अ) जो 1 मई, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 (शिवपुरी-देवास खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में हैं ।
- (एक सौ तिरसठ) का.आ. 881(अ) जो 21 अप्रैल, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य पूदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 69 (अब्दुल्लागंज-बेतुल खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के तिए भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में हैं |
- (एक सौ चौसठ) का.आ. 742(अ) जो 18 मार्च, 2013 के भारत के राजपत्र में पूकाशित हुआ था तथा जो पंजाब राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15 के निर्माण, अनुरक्षण, पूबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन हेतु उसमें उल्लिखित अधिकारियों के सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत किए जाने के बारे में हैं |
- (एक सौ पैसठ) का.आ. 787(अ) जो 20 मार्च, 2013 के भारत के राजपत्र में पूकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 75 (सतना-बेला खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, पूबंधन और पूचालन के लिए भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में हैं।
- (एक औं छियासठ) का0आ0 841(अ) जो 28 मार्च, 2013 के भारत के राजपत् में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 25 मई, 2012 की अधिसूचना संख्या का0आ0 1210(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (एक सौ सढ़सठ) का0आ0 850(अ) जो 28 मार्च, 2013 के भारत के राजपत् में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 25 अतूबर, 2011 की अधिसूचना संख्या का0आ0 2442(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं
- (एक सौ अढ़सठ) का.आ. 327(अ) जो ६ फरवरी, 2013 के भारत के राजपत्र में पूकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या ८ (बीवर-बधाना खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, पूबंधन और पूचालन के लिए भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में हैं।
- (एक सौ उनहत्तर) का.आ. 328(अ) जो 6 फरवरी, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 75 (सतना-बेला खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में हैं।
- (एक सौ सत्तर) का.आ. 357(अ) जो 13 फरवरी, 2013 के भारत के राजपत् में पूकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15 के निर्माण, अनुरक्षण, पूबंधन और पूचातन के लिए भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में हैं
- (एक सौ इकहतर) का.आ. 358(अ) जो 13 फरवरी, 2013 के भारत के राजपत्र में पूकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11 के निर्माण, अनुरक्षण, पूबंधन और पूचातन के लिए भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में हैं

(एक सौ बहत्तर) का.आ. 500(अ) जो 1 मार्च, 2013 के भारत के राजपत् में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य पूदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 92 के उसमें उत्तिरिवत विभिन्न स्वण्डों के पूयोग के लिए सांत्रिक वाहनों से शुल्क के संगृहण के बारे में हैं |

(एक सौ तिहतर) का.आ. 2198(अ) जो 18 सितंबर, 2012 के भारत के राजपत् में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (रीवा-कटनी-जबलपुर खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में हैं |

(Placed in Library. See No. LT 8935/15/13)